संख्या–2453 / 15–17–89–63 (61) / 89

प्रेषक,

श्री गिरजा शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सैक्रेटरी,
सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन,
2 / 19, संत बिहार अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली।

शिक्षा अनुभाग–17 लखनऊ दिनांक 31 अगस्त, 1989 / 01.09.1989

विषयः– भाई जोगा सिंह पब्लिक स्कूल, देवपुरी, मेरठ को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भाई जोगा सिंह पब्लिक स्कूल, देवपुरी, मेरठ को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन आपत्ति नहीं हैः–

(क) सामान्य प्रतिबन्ध–

1. विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
2. विद्यालय में क्रम में 10 प्रतिशत स्थान मेधावी और पिछडें एवं निर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
3. संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
4. संस्था के सभी अध्यापक / अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगे। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान एवं अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

MANAGER
B. J. S. SCHOOL

PRINCIPAL
B.J.S. PUBLIC SCHOOL
MEERUT

5. राज्य सरकार अथवा शिक्षण विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्गत किंए जायेगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
6. विद्यालय में अनुपालन तथा शिक्षा का स्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

(ख) विशेष प्रतिबन्ध–

1. विद्यालय की प्रबन्ध समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय–समय पर नियमानुसार उसका नवीनीकरण भी कराया जायेगा।
2. विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा–कक्ष, दो वैकल्पिक विषय कक्ष, दो प्रयोगशाला कक्ष तथा चार प्रशासनिक कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।
3. कर्मचारियों की सेवा–शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुबन्ध सेवा–निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
4. विद्यालय का लेखा–जोखा निर्धारित प्रपत्रों/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
5. विद्यालय के अध्यापक/कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजना लागू की जायेगी।

उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(गिरजा शंकर मिश्र)
अनु सचिव

संख्या–2453 (1)/15–17–89–तद दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:–

1. शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
4. निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. प्रबन्धक, भाई जोगा सिंह पब्लिक स्कूल, देवपुरी, मेरठ।

आज्ञा से,

(गिरिजा शंकर मिश्र)
अनु सचिव।

MANAGER
B. J. S. SCHOOL
Delhi Road Meerut.

PRINCIPAL
B.J.S. PUBLIC SCHOOL
MEERUT